प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 23 जुलाई, 2021

विषय: आर0सी0एस0 एयरपोर्ट कानपुर नगर (चकेरी) पर सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाओं के भुगतान हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 89/आर0सी0एस0-2021-एस-3/2019 दिनांक 15 जून, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा आर0सी0एस0 स्कीम में चयनित कानपुर एयरपोर्ट से संचालित उड़ानों के लिए प्रदान की गयी सुरक्षा/ अग्निशमन सेवाओं हेतु निम्नलिखित विवरण अनुसार बकाया धनराशि रु0 1,82,47,806.00 (रुपए एक करोड़ बयासी लाख सैंतालिस हजार आठ सौ छ: मात्र) के बिल का भुगतान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को किए जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है:-

क्र0	**पत्र संख्या**	**अवधि**	**भुगतान राशि (रु0)**
1.	AAI/KP/154/RCS/2021/20-22 दिनांक 08 मार्च, 2021	जनवरी, 2021 -फरवरी, 2021	1,20,43,539.00
2.	AAI/KP/154/RCS/2021/34-36 दिनांक 19 अप्रैल, 2021	01 मार्च, 2021 -31 मार्च, 2021	62,04,267.00
	कुल राशि		**1,82,47,806.00**

2- भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 को भारत सरकार, राज्य सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य निष्पादित एम0ओ0यू0 के प्रस्तर- 4.2.2(c) के प्राविधान के अनुसार आर0सी0एस0 हवाई अड्डों पर सुरक्षा तथा अग्निशमन सम्बन्धी सेवायें राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध कराई जानी हैं।

अत: श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में एम0ओ0यू0 के प्राविधानों के अनुरूप आर0सी0एस0 स्कीम में चयनित कानपुर एयरपोर्ट पर प्रदान की गयी सुरक्षा/ अग्निशमन सेवाओं हेतु उक्त विवरण अनुसार बकाया धनराशि रु0 1,82,47,806.00 (रुपए एक करोड़ बयासी लाख सैंतालिस हजार आठ सौ छ: मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ रु0 1,82,47,806.00 (रुपए एक

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

करोड़ बयासी लाख सैंतालिस हजार आठ सौ छः मात्र) अवमुक्त/व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में किए जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

I. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय में संबंधित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/ प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा|
II. धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा|
III. स्वीकृत धनराशि व्यय किए जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा|
IV. आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
V. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है|

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-38 राजस्व लेखा ''लेखाशीर्षक 3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएं-800-अन्य व्यय-03-उ0प्र0 नागर विमानन प्रोत्साहन नीति 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की मानक मद 42 अन्य व्यय" के नामे डाला जाएगा ।

4- यह आदेश वित्त (वित्त-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत किए जा रहें हैं।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

पृ0सं0: 68/2021/1168(1)/छप्पन-2021-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार ई0एस0।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-।, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
5- निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003.
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।